सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 01.09.2023

आत्महत्या के लिये उकसाने वाले 01अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बकेवर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.08.2023 को वादी सन्त कुमार पुत्र जगदीशमाली निवासी निवाडी कला थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर सूचना दी गयी कि उसके पुत्र शिवा नन्द द्वारा आत्महत्या कर ली गयी है जिसको गांव के ही वीरेश आदि ने आत्महत्या के लिये उकसाया था। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 310/2023 धारा 302/504 भादवि तरमीम धारा 306/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 01.09.2023 को थाना बकेवर पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 310/2023 धारा 306/504 भादवि से संबंधित अभियुक्त वीरेश कुमार पुत्र मांगीलाल को नारायण फार्म हाउस के पास से समय 9.45 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वीरेश कुमार पुत्र मांगीलाल निवासी निवाडी कला थाना बकेवर जनपद इटावा उम्र 48 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

01.मु0अ0सं0 310/2023 धारा 306/504 भादवि थाना बकेवर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार, उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार,का0 अनुज कुमार मय टीम।